



संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०

कार्यपालक निदेशक

आदेश सं०: SHSB/GA/HR/7404/2022/6722

पटना, दिनांक: 09/02/2023

-: आदेश :-

विज्ञापन संख्या-06/2020 के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत **Block Accountant** के संविदागत पदों पर आदेश संख्या-4336 दिनांक 21.10.2022 के आलोक में उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध चयनित अधोलिखित अभ्यर्थियों को एकमुश्त मानदेय ₹12,500/- (बारह हजार पाँच सौ रूपये) मात्र प्रतिमाह पर नियोजन हेतु उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित जिला के सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव के निपटारे पर जिला स्वास्थ्य समिति के अधीन आवंटित/पदस्थापित किया जाता है। इनकी नियुक्ति उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

क्र.सं.	रौल नम्बर	Block Accountant का नाम	जन्मतिथि	चयनित कोटि	आवंटित/पदस्थापित जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	30531965	Ankita Subhashini	31.01.1996	WBC	Nalanda
2.	32835054	Suman Kumari	05.01.1994	ST	Saran
3.	31633309	Rajesh Kumar Ram	16.02.1995	SC	West Champaran
4.	12640756	Manish Kumar	01.05.1993	SC	Khagaria
5.	32434472	Vivek Sah	27.07.1993	ST	East Champaran
6.	13041341	Md Sahrab Khan	01.07.1993	PH	Katihar

2. उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि:-

- दिनांक 28 फरवरी, 2023 तक उपरोक्त अपने नाम के सामने स्तंभ-6 में अंकित जिला में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- योगदान के पश्चात् एकरारनामा करने के लिए ₹1,000/- का भारतीय गैर न्यायिक (India Non Judicial) स्टाम्प पेपर, NOC (जो लागू हो) एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (जो सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत हो) के साथ, स्वयं सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष उपस्थित होंगे और जिला स्वास्थ्य समिति के साथ एकरारनामा सम्पन्न करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
- सरकारी या अन्य सरकारी संस्थान में कार्यरत होने की स्थिति में उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य होगा।
- यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह के लिए किया जायगा। नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य के आधार पर अगले 60 (साठ) वर्ष की आयु तक के लिए या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत Record of Proceeding (RoP) में उक्त पद की स्वीकृति होने एवं राशि की उपलब्धता होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) अथवा सक्षम स्तर से निर्णय के अनुरूप संविदा अवधि का विस्तार संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के स्तर से किया जा सकेगा।

ज्ञापक: SHSB/GA/HR/7404/2022/6722 पटना, दिनांक 09/02/2023

Page 1 of 3





- (v) चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु दावा मान्य नहीं होगा।
- (vi) आवंटित/पदस्थापित जिला में योगदान करने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (vii) संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के मानव संसाधन नियमावली (HR Policy) के चैप्टर-2 (General Condition of Service) की कंडिका-22 में किये गये प्रावधान के अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों से योगदान के क्रम में यथा-1. Attestation Form, 2. Marriage Declaration Form, 3. Character and Antecedent Certificate, 4. Self-Verification Form, 5. Nomination Declaration Form, 6. Contractual Employee service Agreement, 7. Employment Bond, 8. Statement of Assets & Liabilities की जानकारी विहित प्रपत्र के साथ दो (02) पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- (viii) उक्त अभ्यर्थियों का नियोजन इस शर्त पर किया जाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जाएगी, तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।
- (ix) नवनियोजित Block Accountant को एकमुश्त मानदेय ₹12,500/- (बारह हजार पाँच सौ रूपये) मात्र प्रतिमाह का भुगतान संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति (DHS) से किया जाएगा। मानदेय/प्रतिमाह FMR code-HSS.9 Sl. No. 185.2 के तहत विकलनीय होगा।

3. जिला अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों पर पदस्थापन, संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा किया जाएगा।

4. सभी संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, नवचयनित अभ्यर्थियों के योगदान के तुरंत बाद उनसे कार्य लेना प्रारंभ कर देंगे, ताकि जनहित में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। उक्त अनुपालन की सूचना/प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से इस कार्यालय के E-mail ID: shsbhrcell@yahoo.com पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश में कुल 03 पृष्ठ हैं एवं सभी पृष्ठ हस्ताक्षरित हैं।

ह०/-


(संजय कुमार सिंह)

ज्ञापक : SHSB/GA/HR/7404/2022/6722 पटना, दिनांक: 09/02/2023

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापक: SHSB/GA/HR/7404/2022/6722 पटना, दिनांक 09/02/2023



Page 2 of 3





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



- प्रतिलिपि:** प्रशासी पदाधिकारी/सभी उप सचिव/अपर निदेशक (वित्त)/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक/संबंधित राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** सिस्टम एनालिस्ट-सह-डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। यह आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के अधिकृत वेबसाइट-<http://shs.bihar.gov.in> पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।


कार्यपालक निदेशक

